Hon'ble Member of Parliament against the Bihar State Advisory Committee and its Chairman to this Ministry for taking appropriate action.

(d) The last date for receipt of applications under the Liberalised Pension Scheme was 31-3-1982. No district-wise record of applications received during a specific period was kept. It is, therefore, not possible to give the exact number of applications received from Gaya District upto 31-7-1981 and the number of cases sanctioned out of them.

राजभाषा का विकास

1669. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास के लिए लगातार पंचवर्षीय योजनाएं तथा वार्षिक योजनाएं बनाता आ रहा है, और यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से सातवीं पंचवर्षीय योजना तक देश भर में सम्पर्क भाषा के रूप में राजभाषा का विकास करने के लिए अब तक कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं और इन योजनाओं को किस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजभाषा के विकास के लिए कोई योजना न होने के कारण किसी भी मंत्रालय ने राजभाषा अधिनियम को कार्यान्वित नहीं किया है और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम को पूरा नहीं किया है और मंत्रालय ने इस लापरवाही की ओर ध्यान नहीं दिया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन सभी बातों के कारण आजादी के 40 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ा है और हिन्दी मंत्रालयों/कार्यालयों के कार्यकरण में अपना उचित स्थान नहीं बना पायी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) (क) संविधान के अनुच्छेद 351 में निहित निदेशों के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा विभाग गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों समेत पूरे भारत में हिन्दी के विकास, प्रोत्साहन और प्रचार के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही अनेक कार्यक्रम/योजनाएं क्रियान्वित करता रहा है । ये कार्यक्रम राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संगठनों, अन्य संस्थानों और स्वयं विभाग द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं । योजना वार ब्यौरे अनुपत्र में दिये गये हैं । [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुपत्र संख्या 71]

जहां तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में विकसित करने का संबंध है, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में वार्षिक कार्यक्रम बनाए जाते हैं । यह कार्यक्रम संबंधित कार्यालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और प्रगति का प्रवीक्षण राजभाषा विभाग द्वारा त्रैमासिक रिपोर्टों और निरीक्षणों के जरिए किया जाता है ।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमन ।

राजभाषा विभाग द्वारा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों इत्यादि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । राजभाषा विभाग द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के उपबंधों के अनुपालन और भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों द्वारा पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग में बराबर सुधार हुआ है । इस संबंध में

वर्ष 1980-81 से 1986-87 तक के आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

धारा 3(3) के संबंध में स्थिति

वर्ष	कुल संख्या	द्विभाषी रूप में	प्रतिशत	केवल अंग्रेजी	प्रतिशत
1980–81	72136	59767	82.80	12369	17.2
1981–82	93084	83641	89.09	9443	10.1
1982–83	91075	80730	88.06	10345	11.1
1983–84	65359	54033	82.07	11326	17.3
1984–85	74400	62138	83.05	12262	16.5
1985–86	94947	90642	95.05	4305	4.5
1986–87	94902	87426	92.12	7476	7.88

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

वर्ष	हिन्दी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	जिनका उत्तर हिन्दी में दिया गया	जिनका उत्तर अंग्रेजी में दिया गया
1980–81	614448	3,31,318	7810
1981–82	530009	2,95,880	5,236
1982–83	505195	232501	5290
1983–84	363282	173302	2784
1984–85	444430	158737	1313
1985–86	634631	343837	6307
1986–87	682685	353332	6211

हिन्दी पत्राचार

वर्ष	पत्रों की संख्या
1980-81	362784
1981–82	467769
1982–83	398994
1983–84	368578
1984–85	274512
1985–86	469457
1986–87	501847